

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक
(सुखराम खोखर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

95 / 2016
28.07.2016

पूरण पुत्र नोरत जाति तेली निवासी लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक
16.09.2015 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री प्रमोद शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 22.11.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 16.09.2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 102/4 रकबा 66.09 बीघा में से 1.00 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य—सबूत नहीं है जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलांट को पूर्व में भी सजायाप्त किया हो। अपीलांट को आरजी खसरा नम्बर 1793/1 वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह पर से वास्तविक रूप से बेदखल किया गया है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कोई



844

Ked
बतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की धारणा कर अपनी मनमरजी से बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 102/4 रकबा 66.09 बीघा में से 1.00 बीघा किस्म चरागाह भूमि वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा पर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 645/2015 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को आराजी खसरा नम्बर 102/4 रकबा 66.09 बीघा में से 1.00 बीघा पर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण मानते हुये 90 दिवस कि सिविल कारावास की सजा व शास्ति कायम कर मौके पर से पटवारी हल्का को उक्त अतिक्रमण हटाने बाबत लिखा गया है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 कि रिपोर्ट खसरा नम्बर 1793/1 रकबा 7 बिस्वा की कि गई है, जिस पर अपीलांट ने मूंग की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 16.09.2015 को अपास्त कर अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 16.09.2015 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मालपुरा को इस आदेश से रिमाण्ड (Remand) प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई/साक्ष्य-सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Acc
(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कोर्ट
टांक

